पूर्ण पीठ

मुख्य न्यायमूर्ति बी.सी. वर्मा, न्यायमूर्ति एस.एस.सोढ़ी और जी.सी. गर्ग के समक्ष

संत राम भाल- याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - उत्तरदाता

सिविल रिट याचिका सं. 8381/1991.

4 दिसम्बर, 1991

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 14 और 226 - एक निश्चित कार्यकाल के लिए पशु चिकित्सा और पशुधन विकास सहायक के रूप में तदर्थ आधार पर पुनर्गठन-नियुक्ति - तदर्थ नियुक्ति समाप्त कर दी जाती है और सरकारी कर्मचारी को बुल अटेंडेंट के पद पर वापस कर दिया जाता है - तदर्थ नियुक्ति को पद धारण करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है - कार्रवाई न तो मनमानी है, न ही अनुचित है और न ही कला का उल्लंघन है। 14-–प्रत्यावर्तन अवैध नहीं है – तथापि, सार्वजनिक नियुक्तियों के मामलों में तदर्थवाद की निंदा की जाती है।

अभिनिर्धारित किया कि, नियुक्ति आदेश के संदर्भ में याचिकाकर्ता की सेवाओं को बिना कोई कारण बताए या बिना किसी नोटिस के समाप्त किया जा सकता है। उस आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता को पशु चिकित्सा और पशुधन विकास सहायक के पद पर कोई अधिकार नहीं था और उस नियुक्ति को नौ महीने की समाप्ति पर या एसएसएस बोर्ड के सिफारिशकर्ता के शामिल होने पर और बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता था। इसके अलावा, ऐसी नियुक्तियां ऐसे पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए नियुक्तियों को कोई अधिकार प्रदान नहीं करती हैं। (अनुच्छेद 4 & 5)

अभिनिर्धारित किया कि, किसी भी तरह से, हमें सार्वजनिक नियुक्तियों के मामले में तदर्थवाद का समर्थन करने के लिए नहीं समझा जाना चाहिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इस प्रथा की निंदा की जानी चाहिए। राज्य सरकार को नियत प्रक्रिया द्वारा ऐसे सभी पदों को भरने के लिए उचित समय के भीतर कदम उठाने चाहिए। (अनुच्छेद 12)

इस मामले को माननीय न्यायमूर्ति एसएस सोढ़ी और माननीय न्यायमूर्ति जीसी गर्ग द्वारा 1

अक्टूबर, 1991 को कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए बड़ी पीठ को भेजा गया था कि याचिकाकर्ता को नियमित पदाधिकारी के आने तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी जाए। पूर्ण पीठ में माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री बीसी वर्मा शामिल हैं। माननीय न्यायमूर्ति एस. एस. सोढ़ी ने यह व्यक्त करते हुए मामले का फैसला किया कि किसी भी तरह से हमें सार्वजनिक नियुक्तियों के मामले में तदर्थवाद का समर्थन करने के लिए नहीं समझा जाना चाहिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। राज्य सरकार को नियत प्रक्रिया द्वारा ऐसे सभी पदों को भरने के लिए उचित समय के भीतर कदम उठाने चाहिए। हम पार्टियों के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रदान की गई मूल्यवान सहायता के लिए हमारी प्रशंसा भी दर्ज करते हैं।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत सिविल रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि रिट याचिका को अनुमति दी जाए और:

a) सर्टिओररी की प्रकृति में एक रिट याचिकाकर्ता के पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ जारी की जा सकती है, जो अनुलग्नक पी/3 के आदेश को रद्द करते हैं।

b) याचिकाकर्ता के पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ एक रिट जारी की जा सकती है, जिसमें उत्तरदाताओं को सभी परिणामी लाभों के साथ पशु चिकित्सा और पशुधन विकास सहायक के पद पर पालतू टर्नर को पदोन्नत / नियुक्त करने का निर्देश दिया जाए और उसकी पात्रता को देखते हुए उसे उक्त पद धारण करने की अनुमति दी जाए। योग्यता और वरिष्ठता,

c) कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करना जो यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित समझे,

d) अग्रिम नोटिस देने की आवश्यकता को समाप्त करना; उत्तरदाताओं के लिए क्योंकि मामला तत्काल प्रकृति का है,

e) अनुलग्नक की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने की आवश्यकता को समाप्त करें

f) इस रिट याचिका की लागत की अनुमति दी जा सकती है।

यह भी सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान रिट याचिका का निर्णय लंबित रहने तक,

याचिकाकर्ता को वीएलडीए के पद को धारण करने की अनुमति दी जाए क्योंकि विभाग में विभिन्न नियमित पद अभी भी खाली पड़े हैं।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील सूर्यकांत।

उत्तरदाताओं के लिए जगदेव शर्मा, अतिरिक्त ए.जी., हरियाणा।

<u>निर्णय</u>

मुख्य न्यायमूर्ति बी.सी. वर्मा-

1. याचिकाकर्ता को शुरू में हरियाणा राज्य के पशुपालन विभाग में बुल अटेंडेंट के रूप में नियुक्त किया गया था। दो साल के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सफल समापन पर, उन्हें 12 जून, 1990 के आदेश के तहत पशु चिकित्सा और पशुधन विकास सहायक नियुक्त किया गया था, अनुबंध पी 2, "हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार नौ महीने की अवधि के लिए तदर्थ आधार पर या एसएसएस बोर्ड की सिफारिश जो भी पहले हो। उस नियुक्ति आदेश की शर्तों के अनुसार, उनकी सेवाओं को बिना किसी नोटिस या कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है। एस.एस.8 द्वारा उम्मीदवारों का कोई चयन नहीं किया गया था। बोर्ड और चूंकि नौ महीने की अवधि समाप्त हो गई, याचिकाकर्ता को 14 मार्च, 1991 के आदेश के तहत बुल अटेंडेंट के अपने मूल पद पर वापस कर दिया गया। इस आदेश से व्यथित याचिकाकर्ता ने इस रिट याचिका के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इसी तरह के आदेशों के खिलाफ इस न्यायालय में कई अन्य रिट याचिकाएं भी दायर की गई हैं और कुछ का निपटारा कर दिया गया है। 1991 की सिविल रिट याचिका 7123 में, इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने निम्नलिखित आदेश पारित किया -

पीठ ने कहा, "पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद हम इस याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ करते हैं कि याचिकाकर्ता को नियमित पदाधिकारी के आने तक पद पर बने रहने की अनुमति दी जाए।

जब यह रिट याचिका एक अन्य खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई, तो यह स्पष्ट रूप से दूसरी खंडपीठ द्वारा पारित 19 सितंबर, 1991 के उपरोक्त आदेश से सहमत नहीं थी और निर्णय के लिए

पूर्ण पीठ द्वारा मामले पर विचार करने की सिफारिश की। इस प्रकार इस मामले को इस पूर्ण पीठ के समक्ष रखा गया है।

2. विचार के लिए दो प्रश्न उठते हैं–

i. क्या नियुक्ति आदेश, अनुलग्नक पी.2, याचिकाकर्ता को पशु चिकित्सा और पशुधन विकास सहायक के पद पर कोई अधिकार प्रदान करता है, जिसके लिए याचिकाकर्ता को तदर्थ आधार पर और उसके तहत निर्दिष्ट शर्तों पर पदोन्नत किया गया था; और

ii. इस नियुक्ति को समाप्त करने और याचिकाकर्ता को बुल अटेंडेंट के अपने मूल पद पर वापस लाने में प्रतिवादी नंबर 2 की कार्रवाई मनमानी और अनुचित है और इसके परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

3. एक अस्थायी सरकारी कर्मचारी को किसी पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनकी सेवाओं को बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है, या तो इस तरह की समाप्ति के लिए प्रदान किए गए अनुबंध की शर्तों के तहत या अस्थायी सरकारी कर्मचारियों के नियमों और शर्तों को विनियमित करने वाले प्रासंगिक वैधानिक नियमों के तहत। सेवाओं की समाप्ति किसी भी बुरे परिणाम के साथ उससे नहीं मिलती है। पुरुषोत्तम लाल ढींगरा बनाम भारत संघ मामले में[1], जो अभी भी इस क्षेत्र में है, संविधान पीठ द्वारा व्यक्त किया गया विचार यह है कि बुरे परिणामों में नोटिस के नियमों और शर्तों के अनुसार एक अस्थायी सरकारी कर्मचारी की सेवाओं की समाप्ति शामिल नहीं है। इस दृष्टिकोण को बाद में जगदीश मित्तर बनाम भारत संघ[2] और पंजाब राज्य बनाम श्री सुख राज बहादुर[3] में दोहराया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कौशल किशोर शुक्ला[4] मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए एक निर्णय में इन सभी प्राधिकरणों को पुन संदर्भित, विचार किया गया है और लागू किया गया है। माननीय न्यायमूर्ति के. एन. सिंह (जैसे कि वे तब थे) ने फैसला सुनाते हुए कहा-

[1] 1958 एस.सी.आर. 828.
[2] ए.आई.आर. 1964 एस.सी. 449.
[3] 1968 (3) एस.सी.आर. 234
[4] 1991 (1) एसएलआर 606.

"सेवा न्यायशास्त्र के तहत एक अस्थायी कर्मचारी को पद धारण करने का कोई अधिकार नहीं है और उसकी सेवाओं को प्रासंगिक सेवा नियमों और सेवा के अनुबंध की शर्तों के अनुसार समाप्त किया जा सकता है।

हम ओम प्रकाश शर्मा बनाम हरियाणा राज्य[5] मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ के एक निर्णय का भी उल्लेख कर सकते हैं। उस मामले में भी, नियुक्ति छह महीने की अवधि के लिए और तदर्थ आधार पर थी और सेवाओं को बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता था। एस. के. वर्मा बनाम पंजाब राज्य[6] मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के एक फैसले का उल्लेख करने के बाद, खंडपीठ ने कहा कि एक तदर्थ कर्मचारी को वैध औचित्य के लिए अपनी सेवाओं की समाप्ति तक पद धारण करने का कोई अधिकार नहीं है और उसकी सेवाओं को उसके रोजगार के संदर्भ में बिना किसी पूर्व सूचना के अन्यथा भी समाप्त किया जा सकता है। हमारी राय में, कौशल किशोर शुक्ला के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और ओम प्रकाश शर्मा के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय का निर्णय पहले प्रश्न का पूरा जवाब प्रस्तुत करता है।

4. जैसा कि हमने ऊपर देखा है, अनुबंध पी.2 के तहत पशु चिकित्सा और पशुधन विकास सहायक के रूप में पदोन्नति पर याचिकाकर्ता की नियुक्ति केवल तदर्थ आधार पर और नौ महीने की अवधि के लिए या उस समय तक के लिए थी जब तक कि एस.एस.एस. बोर्ड की सिफारिश ईई, जो भी पहले हो। नियुक्ति आदेश के संदर्भ में याचिकाकर्ता की सेवाओं को बिना कोई कारण बताए या बिना किसी नोटिस के समाप्त किया जा सकता है। जाहिर है, इसलिए, आदेश के संदर्भ में, याचिकाकर्ता को पशु चिकित्सा और पशुधन विकास सहायक के पद पर कोई अधिकार नहीं था और उस नियुक्ति को नौ महीने की समाप्ति पर या एसएसएस बोर्ड के सिफारिशकर्ता के शामिल होने पर और बिना कारण बताए समाप्त किया जा सकता है। अनुपत्र पी-3 के अनुसार वास्तव में यही किया गया है। हमारी राय में याचिकाकर्ता ने उस पद को धारण करने का कोई अधिकार हासिल नहीं किया था।

[5] 1981 (1) एसएलआर 314.

[6] ए.आई.आर. 1979 पी&एच 149.

5. हम रतन लाल बनाम हरियाणा राज्य[7] मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से अवगत हैं, जिसमें सार्वजनिक रोजगार में तदर्थवाद की राज्य सरकार की नीति की कड़ी निंदा की गई है। फिर भी, तदर्थ आधार पर नियुक्ति की आवश्यकता उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। यह आवश्यक नियमों की अनुपस्थिति या समय से जुड़े चयन की उचित प्रक्रिया के माध्यम से पदधारियों की अनुपलब्धता के कारण हो सकता है; और सेवा की अनिवार्यता इस बीच पदों को मानव रहित रहने की अनुमति नहीं दे सकती है। इसके अलावा, ऐसी नियुक्तियां ऐसे पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए नियुक्त व्यक्तियों को कोई अधिकार प्रदान नहीं करती हैं। इस तरह की नियुक्तियां, जैसा कि कुलदीप चंद शर्मा बनाम दिल्ली प्रशासन[8] मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा देखा गया था, (एक निर्णय जिस पर याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने भरोसा किया था), स्टॉप-गैप व्यवस्था की प्रकृति में हैं। यह निर्णय अपने आप में इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकारी है कि एक तदर्थ नियुक्ति को उस पद को धारण करने का कोई अधिकार नहीं है जिस पर वह इस प्रकार नियुक्त है और वैध कारणों से उसे मूल पद पर वापस लाया जा सकता है। जैसा कि हमने ऊपर दिखाया है, तदर्थ नियुक्ति द्वारा इस स्टॉप-गैप व्यवस्था को अनुबंध के संदर्भ में अच्छी तरह से समाप्त किया जा सकता है। याचिकाकर्ता के वकील ने श्रीमती अनीता बनाम राजस्थान राज्य[9] मामले में एक और फैसले पर भरोसा किया। यह निर्णय याचिकाकर्ता को बहुत कम सहायता प्रदान करता है। उस मामले में, याचिकाकर्ता को अंग्रेजी में व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया था और हर शैक्षणिक सत्र के अंत में उसकी नियुक्ति समाप्त कर दी गई थी। उन्हें अगले शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में फिर से नियुक्त किया जाता था। यह प्रक्रिया सात साल तक चलती रही। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अंग्रेजी में व्याख्याताओं की नियमित नियुक्ति के लिए पदों का विज्ञापन नहीं दिया था। इन परिस्थितियों में राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने उस मामले में निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को तब तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी जाए जब तक कि नियमित रूप से भर्ती किए गए उम्मीदवार राजस्थान लोक सेवा आयोग

[7] ए.आई.आर. 1987 एस.सी. 478.

[8] 1978 (2) एसएलआर 379.

[9] 1991 (4) एसएलजेएल 145.

द्वारा चयन की उचित प्रक्रिया द्वारा उपलब्ध नहीं हो जाते। वर्तमान मामले में नियुक्ति पूरी तरह से अलग परिस्थितियों में है। यह उस नियुक्ति की शर्तें हैं जो वर्तमान मामले को नियंत्रित करती हैं।

6. यह अब हमें दूसरे प्रश्न पर विचार करने के लिए ले जाता है।

7. याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि पशु चिकित्सा और पशुधन विकास सहायक के रूप में याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने में प्रतिवादी की कार्रवाई पूरी तरह से मनमानी और अनुचित थी और इसके परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित नियम का उल्लंघन करती है। यह ठीक ही बताया गया था कि सार्वजनिक तत्वों से जुड़ी कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा मनमानी या अनुचितता या तर्कहीनता के आधार पर स्वीकार्य है, और अमान्य हो सकती है। संविधान के अनुच्छेद 14 पर आधारित विचारों को संविदात्मक मामलों में बाहर नहीं रखा जा सकता है, जैसा कि कुमारी श्रीलेखा विद्यार्थी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य[10] मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंगित किया गया था। उस मामले में यह देखा गया था कि यह तब और अधिक हो सकता है जब आधुनिक प्रवृत्ति ऐसे अनुबंध में एक शब्द की अनुचितता की जांच करना है जहां सौदेबाजी की शक्ति असमान है ताकि ये बातचीत किए गए अनुबंध न हों, बल्कि असमान लोगों के बीच मानक रूप अनुबंध हों। फिर भी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा-

> "ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा की गुंजाइश और अनुमेय आधार और जो राहत उपलब्ध हो सकती है, वे अलग-अलग मामले हैं..."

उपर्युक्त मामले में निर्णय के पैराग्राफ 35 में, संविधान के अनुच्छेद 14 के दायरे पर अच्छी तरह से स्थापित दृष्टिकोण इन शब्दों में कहा गया है:

> "अब यह बहुत अच्छी तरह से तय है कि जीवित रहने के लिए प्रत्येक राज्य की कार्रवाई को मनमानी के दृष्टिकोण के प्रति अतिसंवेदनशील नहीं होना चाहिए, जो संविधान के अनुच्छेद 14 का सार है और कानून के शासन के लिए बुनियादी है, जो हमें नियंत्रित करता है। मनमानी कानून के शासन की बहुत अवहेलना है। प्रत्येक राज्य कार्रवाई में इस बुनियादी

[10] 1990 (6) एसएलआर 1.

परीक्षण की संतुष्टि इसकी वैधता के अनुरूप नहीं है और इस संबंध में, राज्य अनुबंध के क्षेत्र में भी किसी निजी व्यक्ति के साथ तुलना का दावा नहीं कर सकता है। अनुबंध के क्षेत्र में राज्य और एक निजी व्यक्ति के बीच इस अंतर को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में यह भी माना कि यह मनमानेपन का आरोप लगाने वाले व्यक्तियों को इसे साबित करना था और यह कि आक्षेपित कार्रवाई मनमानी है या नहीं, इसका जवाब अंततः किसी दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर दिया जाना है। मनमानी का सही आयात सटीक रूप से बताए या परिभाषित करने की तुलना में अधिक आसानी से कल्पना की जाती है। उस मामले में, सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य में सभी सरकारी अधिवक्ताओं के असाइनमेंट को समाप्त कर दिया, इस तथ्य के बावजूद कि उनकी नियुक्ति की शर्तें समाप्त हो गई थीं या नहीं। संबंधित नियमों के तहत, सरकार द्वारा उचित चयन के बाद एक जिला सरकारी वकील को एक अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है। उनका कार्यकाल तीन साल से अधिक की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। ऐसे सभी पदाधिकारियों की नियुक्तियों को इस तथ्य के बावजूद समाप्त कर दिया गया था कि उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था या नहीं। संबंधित नियमों के प्रावधानों पर विचार करते हुए, यह माना गया कि जिला सरकारी वकील की नियुक्ति और नियुक्ति अपने वकील के निजी वादी द्वारा समान नहीं है और स्पष्ट रूप से नियुक्ति की निरंतरता का एक तत्व है जब तक कि नियुक्त व्यक्ति को अपने स्वयं के काम से अनुपयुक्त नहीं पाया जाता है। आचरण या आयु या नियुक्ति के स्थान पर उपलब्ध किसी भी अधिक उपयुक्त उम्मीदवार की तुलना में। इसलिए, नियमों की व्याख्या करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में पाया कि ऐसी सभी नियुक्तियों को समाप्त करने के लिए एक सामान्य परिपत्र जारी करने से पहले व्यक्तिगत मामलों पर पूरी तरह से विचार नहीं किया गया था और यह तथ्य स्वयं अदालत को परिपत्र के तथ्य पर बड़े पैमाने पर मनमानी की बात प्रतीत होता है। इन परिसरों में, उस परिपत्र को रद्द कर दिया गया था और एक सामान्य आदेश द्वारा जिला सरकारी वकीलों की नियुक्ति को समाप्त करने की राज्य की कार्रवाई को संविधान के अनुच्छेद 14 का मनमाना और अनुचित उल्लंघन माना गया था। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इस फैसले पर बहुत दृढ़ता से भरोसा किया। वर्तमान मामले में, हमने प्रदर्शित किया है कि नियुक्ति आदेश के संदर्भ में याचिकाकर्ता ने उस पद पर बने रहने का कोई अधिकार हासिल नहीं किया था। उनका कार्यकाल नौ महीने या उससे

भी पहले निर्दिष्ट किया गया था यदि एसएसएस बोर्ड द्वारा विधिवत चयनित और अनुशंसित व्यक्ति उपलब्ध थे। कुमारी श्रीलेखा विद्यार्थी के मामले (सुप्रा) को नियंत्रित करने वाले नियमों के तहत इस तरह के कार्यकाल के विस्तार का कोई सवाल ही नहीं था। इस तरह की नियुक्ति को समाप्त करने और याचिकाकर्ता को उसके मूल पद पर वापस लाने की कार्रवाई को भी मन की गैर-प्रयोज्यता के विकार से ग्रस्त नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, मनमाना, जैसा कि कुमारी श्रीलेखा विद्यार्थी के मामले (सुप्रा) में पाया गया था। यहां, आक्षेपित आदेश, अनुबंध पी.3, अनुबंध पी.2 के तहत एक निश्चित कार्यकाल के लिए तदर्थ नियुक्ति की शर्तों से उत्पन्न होने वाले प्राकृतिक परिणामों को इंगित करता है। इसलिए, हमारी राय है कि लागू आदेश, अनुबंध पी.3, कुमारी श्रीलेखा विद्यार्थी के मामले (सुप्रा) में निर्धारित सभी परीक्षणों का सामना करता है और प्रतिवादी की कार्रवाई को मनमाना या अनुचित नहीं कहा जा सकता है।

8. याचिकाकर्ता की ओर से, यह प्रस्तुत किया गया था कि याचिकाकर्ता को पशु चिकित्सा और पशुधन विकास सहायक के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद, कई अन्य व्यक्तियों को इसी तरह नियुक्त किया गया है। हालांकि, वे सेवा में बने हुए हैं। याचिकाकर्ता की नियुक्ति को समाप्त करने और उसके कनिष्ठों को बनाए रखने में प्रतिवादी की कार्रवाई की आलोचना "आखिरी आओ पहले जाओ" के सिद्धांत पर मनमानी के रूप में की जाती है। हमारी राय में, यह तर्क भी गलत है। यह नहीं बताया जा सका कि इस तरह नियुक्त किसी व्यक्ति को नियुक्ति आदेश में उल्लिखित उसकी नियुक्ति की अवधि समाप्त होने के बाद बनाए रखा गया है या नहीं। इसलिए, याचिकाकर्ता को इस स्कोर पर कोई शिकायत करने के लिए नहीं सुना जा सकता है। इस तर्क को भी खारिज किया जाता है।

9. यह तर्क भी उतना ही अस्थिर है कि याचिकाकर्ता को पशु चिकित्सा और पशुधन विकास सहायक के पद पर नियमित रूप से चयनित होने के अवसर से वंचित कर दिया गया है। अब तक कोई नियमित नियुक्ति नहीं की गई है। यदि और जब ऐसी कोई नियुक्ति की जाती है, और यदि याचिकाकर्ता को कोई मौका नहीं मिलता है या नियुक्ति के लिए इस तरह से चुने जाने के अपने कथित अधिकार से वंचित किया जाता है, तो और फिर अकेले, उसे इस संबंध

में शिकायत करनी पड़ सकती है। (वास्तव में, कृष्ण चंद गोयल बनाम पंजाब राज्य[11] मामले में इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा है कि जब एक अस्थायी सरकारी कर्मचारी की सेवाओं को या तो नियुक्ति की शर्तों या सेवा नियमों के अनुसार समाप्त कर दिया जाता है, जबकि उसके कनिष्ठों को सेवा में बनाए रखा जाता है, तो यह असमान व्यवहार साबित नहीं होगा और न ही यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा। हमारे सामने विपरीत दृष्टिकोण रखने वाले किसी भी निर्णय का हवाला नहीं दिया गया है। इसलिए, ऐसा कोई भी तर्क देना व्यर्थ है)।

10. हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने आग्रह किया कि एक बार जब किसी व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया जाता है, तो नियुक्ति आदेश में व्यक्त कार्यकाल सभी महत्व खो देता है और इस तरह नियुक्त व्यक्ति एक दर्जा प्राप्त कर लेता है जिसे संबंधित कानून के अलावा समाप्त नहीं किया जा सकता है। पद की प्रकृति और इसे बनाए रखने की मंशा का पता लगाया जाना चाहिए। विद्वान वकील ने भारत संघ बनाम अरुण कुमार रॉय[12] में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधिकार पर इस तरह के तर्क का समर्थन करने का प्रयास किया। हमारी राय में, विद्वान वकील द्वारा इस निर्णय पर भरोसा करना पूरी तरह से गलत है। यह निर्णय केवल इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण है कि नियुक्ति के बाद, यह कर्मचारी की सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाला नियम है जो नियुक्ति की प्रारंभिक शर्तों पर प्रबल होगा। वर्तमान मामले में, जैसा कि हमने ऊपर संकेत दिया है, याचिकाकर्ता ने अनुबंध पी.2 के तहत नियुक्ति के बल पर पशु चिकित्सा और पशुधन विकास सहायक के रूप में कोई दर्जा हासिल नहीं किया है, जो नियुक्ति केवल एक निश्चित कार्यकाल के लिए और तदर्थ आधार पर थी। इसलिए, इस तर्क में कोई दम नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

11. एस्टोपेल के सिद्धांत पर आधारित अंतिम तर्क का केवल उल्लेख किया जाना चाहिए और इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील ने हरियाणा सरकार द्वारा 5 फरवरी, 1990 को जारी एक परिपत्र का हवाला दिया, जिसमें एचपीएससी/एसएसएस बोर्ड के दायरे में

[11] 1980 (2) एसएलआर 628.

[12] 1986 (1) एसएलआर 474.

आने वाले पदों के खिलाफ तदर्थ नियुक्ति करने की नीति और प्रक्रिया का उल्लेख किया गया था। इसके प्रथम पैरा के खंड (ii) में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि तदर्थ नियुक्तियां केवल नौ माह के लिए अथवा उस समय तक के लिए की जानी चाहिए जब तक कि एचपीएससी/एसएसएस बोर्ड के सिफारिशकर्ता, जो भी पहले हो, कार्यभार ग्रहण कर लेते हैं। इसके खंड (iii) में यह अपेक्षा की गई है कि किसी भी मामले में कोई तदर्थ नियुक्ति नौ महीने से अधिक समय तक जारी नहीं रखी जानी चाहिए। खंड (v) में कहा गया है कि तदर्थ नियुक्तियों को कार्यकाल की समाप्ति पर या जैसे ही एचपीएससी/एसएसएस बोर्ड की सिफारिशकर्ता अपना स्थान ग्रहण करते हैं, जो भी पहले हो, कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। निस्संदेह, परिपत्र का पैरा 2 निश्चित रूप से इंगित करता है कि भर्ती एजेंसियों, अर्थात् एचपीएससी/एसएसएस बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपयुक्त उम्मीदवारों की सिफारिश जल्द से जल्द की जाए ताकि पैराग्राफ 1 (iii) में उल्लिखित निर्धारित समय के भीतर नियमित नियुक्तियां की जा सकें। हम यह देखने में विफल हैं कि यह परिपत्र याचिकाकर्ता की मदद कैसे करता है। परिपत्र के किसी भी खंड से यह नहीं कहा जा सकता है कि जब तक नियमित नियुक्तियां नहीं की जाती हैं, तब तक राज्य सरकार को उक्त परिपत्र के अनुसरण में, या तो उनकी शर्तों की समाप्ति पर या एचपीएससी/एसएसएसबी द्वारा की जा रही सिफारिशों के अनुसरण में, जो भी पहले हो याचिकाकर्ता के रूप में नियुक्त की गई ऐसी नियुक्तियों को उनके मूल पदों पर वापस लाने से रोक दिया गया था। एस्टोपेल का नियम, उपरोक्त परिपत्र की शर्तों पर, या यहां तक कि अन्यथा किसी भी खंड से आकर्षित नहीं होता है। इसलिए इस तर्क को भी खारिज किया जाता है। उपरोक्त विश्लेषण पर, हमारी राय है कि याचिकाकर्ता का नौ महीने की समाप्ति के बाद या उस अवधि तक अपनी नियुक्ति को जारी रखने का दावा जब एस.एस.एस. बोर्ड द्वारा अनुशंसित को नियुक्त किया जाता है, अनुबंध पी.2 के अनुसार, निराधार है। उक्त आदेश द्वारा उनकी नियुक्ति को सही ढंग से समाप्त किया गया है। अनुलग्नक पी.3. इसलिए, यह रिट याचिका खारिज की जा सकती है, और तदनुसार खारिज की जाती है।

12. हालांकि, इससे पहले कि हम इस मामले से अलग हों, हम व्यक्त करते हैं कि किसी भी तरह से हमें सार्वजनिक नियुक्तियों के मामले में तदर्थवाद का समर्थन करने के लिए नहीं समझा

जाना चाहिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इस प्रथा की निंदा की जानी चाहिए। राज्य सरकार को नियत प्रक्रिया द्वारा ऐसे सभी पदों को भरने के लिए उचित समय के भीतर कदम उठाने चाहिए। हम पार्टियों के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रदान की गई मूल्यवान सहायता के लिए हमारी प्रशंसा भी दर्ज करते हैं। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

आर.एन.आर.

3355 एचसी- सरकारी प्रेस, यू.टी., सी.एच.

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रियांक गोयल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

यमुनानगर, हरियाणा